न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 41/2019

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

प्रार्थीगण :-

1. ठाकरा वल्द मगा वगैरा (4)
   जाति जाट निवासी नाईयों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. केसा पुत्र वना वगैरा (24)

25. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः-

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण - अनुपस्थित

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 20/10/21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। वावजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प **अणखिया** पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमावन्दी संवत् 2073-2076 सरहद मौजा नेहरों का बेरा के खेत खसरा नम्बर 267, 268, 269, 269/1, 269/5 कुल रकबा 120-01 बीघा एवं ग्राम नेहरों की ढाणी खुर्द के खसरा नम्बर 4/2 रकबा 12-03 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम वतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** विवादित खसरा सरहद मौजा नेहरों का बेरा के खेत खसरा नम्बर 267, 268, 269, 269/1, 269/5 कुल रकवा 120-01 बीघा एवं ग्राम नेहरों की ढाणी खुर्द के खसरा नम्बर 4/2 रकवा 12-03 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT-नगर गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी वाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:29:17 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 20/10/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय **अणखिया** में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

(प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)

दिनांक : 20/10/21

क्रमांक: वाद/2021/911

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

ठाकरा कोडेरा केरसा कोडेरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

निर्णय दिनांक :– 20/10/21

राजस्व आवेदन सं. 41/19

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम नेहरों का वेरा के खेत खसरा नम्बर 267, 268, 269, 269/1, 269/5 कुल रकबा– 120-01 बीघा रकबा.... एवं खसरा नम्बर.... रकबा.... खसरा नम्बर.... रकबा.... ग्राम नेहरों की ढाणी रडुई —— खसरा नम्बर 41/2 रकबा 12-03 बीघा एवं नम्बर.... रकबा.... खसरा नम्बर.... रकबा.... की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रूपये 1000/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी

दिनांक : 20/10/21

क्रमांक: वाद/2021/912-915

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी R.G.T. ... रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी
3. हल्का पटवारी कोडेरा ... कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी ठाकरा कोडेरा
5. विप्रार्थी केरसा कोडेरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar

Date: 2022.01.14 10:29:17 IST

Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी